Neutral Citation No. - 2019:AHC:218483-DB

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 1

वाद :- रिट - सी संख्या - 25389/2019

याचिकाकर्ता:- सुधीर कुमार सिंह

प्रतिवादी:- यू.पी. राज्य और 4 अन्य

याचिकाकर्ता के वकील:- इमरान सैयद, श्री रविकांत (वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रतिवादी के वकील:- सी.एस.सी., राजेंद्र सिंह चौहान, सुशील कुमार राव

माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री इमरान सैयद और प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री कुणाल शाह को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

इस याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए याचिकाकर्ताओं ने 26.07.2019 के आदेश को रद्द करने के लिए एक प्रमाण पत्र की प्रकृति में राहत मांगी है, जिसके तहत 26.5.2018 की निविदा को लागू करने वाले नोटिस के अनुसार याचिकाकर्ता का समझौता रद्द कर दिया गया है।

मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी-वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ पंजीकृत ठेकेदार है, ने भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के संबंध में मिर्जापुर, भवानीपुर-1, भवानीपुर-2 और तेंदू केंद्रों के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए दिनांक 1.6.2018 की निविदा के विरुद्ध आवेदन किया था। निविदा नोटिस के अनुसार सौंपे जाने वाले कार्य को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

करने के लिए याचिकाकर्ता ने सबसे कम दर की पेशकश की थी, जिसका चयन एल-1 श्रेणी में किया गया और उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के बाद निगम और याचिकाकर्ता के बीच 13.7.2018 को भवानीपुर-1, मिर्जापुर क्षेत्र में कार्य के लिए समझौता हुआ। पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने समझौते की शर्तों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब अन्य लोगों को भी अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए चुना गया था, तो कुछ शिकायत प्रमोद कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष दर्ज कराई थी। विशेष सचिव ने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को 30.5.2019 को दो बिंदुओं पर जांच करने के लिए पत्र लिखा था: एक इकबाल अहमद अंसारी नामक फर्म से संबंधित था, जिसका पंजीकरण और नवीनीकरण किया गया था और इसे पहले से ही ब्लैक लिस्ट किया गया था; दूसरा बिंदु बिना कोई कारण बताए 16.4.2018 और 5.5.2018 की निविदा सूचना को रद्द करने और फिर 16.6.2018 की नई निविदा सूचना जारी करने और काम के वितरण के लिए उच्च मूल्य स्वीकार करने के संबंध में था। जबकि यह पत्र प्रबंध निदेशक को विशेष सचिव द्वारा लिखा गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष सचिव ने इस मामले में की गई शिकायत की प्रशासनिक जांच करने के लिए सीधे मंडल के आयुक्त को भी पत्र लिखा था। विंध्याचल मंडल के आयुक्त ने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ से दिनांक 13.7.2018 को कुछ रिपोर्ट प्राप्त की और इस आशय का निष्कर्ष दर्ज किया कि निविदा आमंत्रित करने की सूचना किसी गुप्त उद्देश्य के साथ मात्र औपचारिकता थी और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अधिकारियों ने बहुत जल्दबाजी में निविदा आवेदन को मंजूरी दे दी, केवल उत्तर प्रदेश राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, विंध्याचल में पंजीकृत ठेकेदार से ही आवेदन आमंत्रित किए; और जो अधिकारी निविदा प्रक्रिया में शामिल थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया और उन्हें गलत तरीके से इस अर्थ में नियुक्त किया गया कि एक संविदा कर्मचारी निविदा समिति का हिस्सा था। मूलतः शिकायत यह थी कि ई-टेंडर प्रक्रिया में केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही आमंत्रित किया गया था, जो आपत्तिजनक था, क्योंकि यदि खुले बाजार से आमंत्रण होता तो प्रतिस्पर्धा अधिक होती और निविदा आवेदक सही कीमत की पेशकश करते तथा अनुबंध में कार्य को बहुत अधिक लागत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

आवंटित किया गया है, जो कि पहले की तुलना में 100% अधिक है। रिपोर्ट के अंतिम भाग में यह निष्कर्ष दिया गया कि लागत के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा बहुत जल्दबाजी में संस्तुति की गई थी तथा मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने मामले में बहुत निष्पक्षता से कार्य नहीं किया। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य भंडारण आवास निगम के प्रबंध निदेशक ने विशेष सचिव के दिनांक 30.5.2019 के आदेश के अनुपालन में स्वयं जांच की तथा दिनांक 14.6.2019 को मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है तथा प्रतिवादी निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस पर कोई विवाद नहीं किया है। रिपोर्ट में प्रबंध निदेशक ने अंतिम निष्कर्ष में यह निष्कर्ष निकाला है कि दिनांक 1.4.2018 को निविदा आमंत्रित करने के लिए जारी पूर्व नोटिस को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि न्यूनतम लागत व्यवहार्य नहीं थी, तथा तदनुसार इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा इसके पश्चात एक समिति गठित की गई, तथा दिनांक 1.4.2018 को निविदा आमंत्रित करने के लिए जारी नोटिस के अनुसरण में उदय कंस्ट्रक्शन द्वारा कुछ गलत आवेदन प्रस्तुत किए जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने की बात छिपाई गई थी, तथा इसी आधार पर अन्य क्षेत्र के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए जारी नोटिस को रद्द करना उचित नहीं था। प्रबंध निदेशक द्वारा स्वयं तैयार की गई तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को संबोधित इस जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.7.2019 को विवादित आदेश पारित किया गया है, जिसमें सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया, जो पहले ही शुरू हो चुकी थी, तथा याचिकाकर्ता और प्रतिवादी निगम के मध्य हुए परिणामी अनुबंध को भी निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 26.7.2019 के विवादित आदेश के अंतर्गत अनुबंध को निरस्त करने के साथ ही प्रतिवादियों ने उसी कार्य के लिए नई निविदा जारी करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसे याचिकाकर्ता विवादित आदेश पारित होने के समय कर रहा था।

Translated Version Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

आदेश की आलोचना करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित बिंदुओं पर तर्क दिया है:

क) प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के साथ लिखित समझौते को एकतरफा रद्द करना न्यायोचित नहीं था, जबकि यह समझौता उच्च अधिकारियों की मंजूरी से 13.7.2019 को विधिवत रूप से निष्पादित किया गया था और इसमें याचिकाकर्ता का हित शामिल था, क्योंकि उसने अनुबंध के तहत कार्य करने के लिए भारी धनराशि का निवेश किया था और लागत वहन की थी;

ख) न तो संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 29.6.2019 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और न ही प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 14.6.2019 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट कभी भी याचिकाकर्ता को प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए उपलब्ध कराई गई;

ग) किसी भी जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह से अपने टेंडर आवेदन को वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करवाने और अंततः याचिकाकर्ता के साथ समझौते में किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया गया है। याचिकाकर्ता पर किसी भी तरह की दुर्भावना, साजिश या अन्यथा के आरोप नहीं हैं और न ही वह समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का दोषी है, चाहे प्रतिवादियों द्वारा समझौते को रद्द करना उचित था या नहीं।

d) प्रतिवादी-प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट पर अपना स्वतंत्र विचार नहीं रखा और इसके अलावा, प्रबंध निदेशक ने स्वयं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसलिए निर्णय लेना उचित नहीं था क्योंकि पक्षपात का तत्व पूरी कार्रवाई को प्रभावित करेगा। प्राधिकरण को अपना स्वतंत्र विचार रखना होगा और इस तर्क पर कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता,

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

प्रतिवादी-प्रबंध निदेशक स्वयं जांच प्राधिकरण होने के नाते, उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने में उचित नहीं थे, और

ई) वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए कॉरपोरेशन और उसके अधिकारियों के कामकाज के लिए नियम तय करना सरकार के सचिवों का काम नहीं है और न ही प्रतिवादी-प्रबंध निदेशक विशेष सचिव के निर्देशों पर कार्रवाई करने के लिए न्यायोचित हैं और इसलिए, उनका कहना है कि यह आदेश कानून के विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, प्रतिवादी निगम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रबंध निदेशक द्वारा अनुबंध निरस्त करने के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि यह निविदा आमंत्रण के पूर्व नोटिस को निरस्त करने के संबंध में तथ्यों की स्पष्ट खोज पर आधारित है, इस आधार पर कि प्रस्तावित मूल्य उचित नहीं थे और फिर भी अचानक अत्यधिक कीमतों पर निविदाएं स्वीकार कर ली गईं, क्योंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था, कार्य की लागत/मूल्य का निर्धारण उचित नहीं था। यह तर्क दिया गया है कि भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पूरे मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है और देयता निर्धारित करने के लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। यह तर्क दिया गया है कि यह ऐसा मामला है जिसमें भारी सार्वजनिक धन दांव पर लगा है और त्रुटि पकड़ी गई है, हो सकता है कि सार्वजनिक हित में समझौते के निष्पादन के बाद, इसे राज्य के स्वामित्व वाले निगम का एक गंभीर कार्य माना जाना चाहिए और नोटिस जारी न करने, कारण बताओ नोटिस न देने या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने जैसे तकनीकी कारणों से आदेश को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सार्वजनिक धन शामिल होता है और ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार से काम के लिए आवेदन आमंत्रित करने का मामला होता है, तो पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए और यदि कोई भी चीज उन लोगों की ओर से दुर्भावना के कारण खराब पाई जाती है जो मामलों के शीर्ष पर हैं, तो इस तरह की कार्रवाई जो वर्तमान मामले में की गई है, काफी जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया है कि प्राकृतिक न्याय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version Not for Legal Use

सिद्धांतों को हर मामले में स्वचालित रूप से लागू करने के लिए सीधे-सीधे सूत्र में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुबंध के मामलों में, प्रशासनिक निर्णय लेने के परीक्षण में जिन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, वे लागू नहीं होंगे। उनका तर्क है कि प्राधिकरण ने आदेश पारित करने में न तो कोई अर्ध न्यायिक कार्य किया है और न ही यह कहा जा सकता है कि उसने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है। उनका कहना है कि दोनों जांच रिपोर्टों में निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं और प्रबंध निदेशक ने मामले में अपने विवेक का उचित उपयोग किया है, इसलिए आदेश को कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उन्होंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (2007) 1 एससीसी 477 जैसे सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया है; ईसीआईएसपीआईसी एमसीएम (जेवी बनाम केंद्रीय संगठन
2018 (5) एडब्ल्यूसी 4772; कर्मचारी राज्य बीमा निगम
और अन्य बनाम जादैन (2006) 6 एससीसी 581, मेसर्स अंबे कूरियर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (रिट-सी संख्या 45762/2014, 09.09.2014 को तय);,

जबकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न प्राधिकारियों पर भरोसा किया है और उद्धृत किया है: यू.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम सुनील 2013 (3) एडीजे 745; सहारा इंडिया (एफ) लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त और अन्य (2008) 14 एससीसी 151; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम अक्षय इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (2014) 11 एससीसी 112; धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त (2015) 8 एससीसी 519; यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनुभाई धर्मश्री भाई और अन्य (2008) 10 एससीसी 404; भारती एयरटेल बनाम भारत संघ (2015) 12 एससीसी 1.0

पक्षों के विद्वान वकीलों और बार में उनके द्वारा दिए गए तर्कों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि हमारे विचारार्थ निम्नलिखित बुनियादी प्रश्न उठते हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

(क) क्या दोनों जांच रिपोर्ट प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण हैं क्योंकि उनके अंतर्गत दिए गए निष्कर्ष किसी तथ्य पर आधारित नहीं हैं और इसलिए विकृत हैं;

(ख) क्या प्रतिवादी प्रबंध निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना एक वर्ष बीत जाने के बाद उसके साथ लिखित समझौता रद्द करना उचित था;

(ग) क्या स्वायत्त निकाय होने के कारण निगम को विशेष तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था और प्रबंध निदेशक द्वारा विशेष सचिव के कार्यकारी आदेश के तहत समझौता रद्द करना उचित नहीं था; और

(घ) क्या प्रबंध निदेशक द्वारा पारित आदेश पक्षपातपूर्ण है क्योंकि वह स्वयं जांच अधिकारी थे और याचिकाकर्ता को अपने बचाव में स्पष्टीकरण दिए बिना उन्होंने स्वयं जांच की और फिर उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने समझौता रद्द करने की कार्यवाही की।

जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, प्रतिवादी निगम के विद्वान वकील श्री कुणाल शाह ने बहुत ही निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि दिनांक 26.07.2019 के आरोपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कभी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। निगम के समक्ष यह स्वीकार किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगम द्वारा विधिवत समझौता किया गया था। दिनांक 06.01.2018 और 31.03.2018 को निविदा आमंत्रित करने वाले पहले के नोटिस से संबंधित रिकॉर्ड प्रतिवादियों के ज्ञान में थे। इसे रद्द करने के लिए बताए गए कारण, यदि कोई थे, तो निगम के ज्ञान में थे। दिनांक 01.06.2018 को एक नया निविदा नोटिस जारी करने को कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गई और जिन लोगों ने निविदा के लिए आवेदन किया था, उन्होंने विधिवत भाग लिया था और याचिकाकर्ता को ही भवानीपुर-I क्षेत्र के लिए चुना गया था। याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई सबसे कम कीमत की बोली पर उच्च अधिकारियों द्वारा विचार किया गया और जिन लोगों को अभिलेखों को सत्यापित करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

कार्य सौंपा गया था, उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। विभिन्न केंद्रों के संबंध में दिनांक 19.04.2018 की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, ताकि संभावित दरों के बारे में आवश्यक प्रथम दृष्टया राय प्राप्त की जा सके, ताकि निविदा बोली आवेदन का मूल्यांकन करते समय उचित मूल्यांकन के बाद दरें तय की जा सकें, जहां तक वर्तमान निविदा आमंत्रण नोटिस का संबंध है।

निदेशक ने स्वतंत्र रूप से अपना विचार न रखते हुए विशेष सचिव के आदेश पर यंत्रवत् कार्य करते हुए किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के स्थान पर स्वयं ही जांच कर ली, जबकि दूसरी ओर संभागीय आयुक्त ने भी जांच कर ली तथा पृथक से दिनांक 29.06.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। प्रबंध निदेशक द्वारा दिनांक 14.6.2019 को विशेष सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विशेष सचिव ने दिनांक 16.07.2018 को पत्र जारी कर पूर्व में जारी निविदाओं को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए तथा अनुपालन रिपोर्ट भी तलब की।

दो अधिकारियों अर्थात् संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों और अंतिम निष्कर्षों के अवलोकन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया है:

"उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्व में करायी ई-टेण्डरिंग से प्राप्त रेट्स काफी कम थे इसलिए इस सन्दर्भ में शिकायतकर्ता की शिकायत प्रथम दृष्टया सही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में करायी गयी विज्ञापन सं०-

1.1001.23318 दिनांक 01.04.18 द्वारा करायी गयी ई-टैण्डरिंग प्रक्रिया को निरस्त इस आधार पर किया जाना कि प्राप्त न्यूनतम दर अव्यवहारिक है किसी भी दशा में स्वीकार्य योग्य नहीं है। इस सन्दर्भ में ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया कराये जाने हेतु मण्डल स्तर पर गठित की गयी कमेटी द्वारा पी०ई०जी० तेन्दू (सोनभद्र) को ही अव्यवहारिक माना था जबकि प्रधान कार्यालय द्वारा इसे समस्त केन्दों के सम्बन्ध में यथावत् स्वीकार किया। जहाँ तक उदय कन्सट्रक्शन द्व ारा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

धरोहर राशि जब्त किये जाने सम्बन्धी तथ्यों को छुपाने अथवा प्रस्तुत किये जाने के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रत्यावेदन का प्रश्न है, तो इस सन्दर्भ में विदित हो कि उदय कन्सट्रक्शन द्व ारा विज्ञापन सं0-1.1001.23318 दिनांक 01.04.18 के द्वारा मात्र पी०ई०जी० तेन्दू के लिए आवेदन किया गया था। इसलिए इस आधार पर अन्य केन्दों हेतु प्राप्त निविदाओं को निरस्त किया जाना प्रथम दृष्टया औचित्यपरक नहीं था। आख्या आपकी सेवा मे सादर प्रेषित।"

यदि कोई दो जांच अधिकारियों द्वारा लौटाए गए निर्णायक निष्कर्षों को देखता है, तो एक जांच अधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक ने दर्ज किया है कि चूंकि दरों से संबंधित विवाद पहले ही उत्पन्न हो गया था और 01.04.2018 को निविदा आमंत्रण नोटिस रद्द कर दिया गया था, इसलिए अन्य केंद्रों के संबंध में निविदा आमंत्रण नोटिस रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 01.04.2018 की निविदा आमंत्रण वाली पिछली सूचना गलत तरीके से रद्द कर दी गई थी। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 01.04.2018 की निविदा आमंत्रण वाली पिछली सूचना गलत तरीके से रद्द कर दी गई थी। इसलिए, यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकाला गया है कि बाद में निविदा आमंत्रण वाली सूचना को खारिज किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि नई निविदा आमंत्रण वाली सूचना जारी करने में कोई त्रुटि थी या प्रतिवादी निगम द्वारा 01.06.2019 की एनआईटी के अनुसार नई निविदा प्रक्रिया में कोई त्रुटि थी। यह ध्यान देने योग्य है कि निविदा आमंत्रण के पूर्व नोटिस को रद्द करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल संबंधित निविदा के संबंध में थी।

जहां तक दूसरी जांच रिपोर्ट का सवाल है, निष्कर्ष केवल यही है कि कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया गया था और इसलिए, मूल्य निर्धारण गलत था और इसलिए, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का संबंधित अधिकारी निविदा की पूरी प्रक्रिया और उसकी स्वीकृति के लिए दोषी था। इस स्तर पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि 29.06.2019 की जांच रिपोर्ट में आयुक्त ने प्रबंध निदेशक की 13.07.2018 की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कार्यवाही की है, जिसमें नई निविदा प्रक्रिया में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

किसी भी तरह की गड़बड़ी की चर्चा नहीं की गई है। पूरी जांच रिपोर्ट में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि कैसे और किन परिस्थितियों में ऐसा निष्कर्ष वापस किया गया, और तो और, 19.04.2018 को निगम के अधिकारी द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

जहां तक दूसरी जांच रिपोर्ट का सवाल है, इसमें यह भी नहीं दर्शाया गया है कि शिकायत को छोड़कर पहले की निविदा के संबंध में निष्कर्ष दर्ज करने के लिए प्रबंध निदेशक के समक्ष क्या सामग्री थी। प्रबंध निदेशक द्वारा कोई स्वतंत्र जांच नहीं की गई है, सिवाय इस तथ्य के कि उन्होंने कुछ आंकड़ों को ध्यान में रखा है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह इस बात का आधार है कि पहले की निविदा आमंत्रण सूचना को गलत तरीके से रद्द कर दिया गया था। इसलिए सवाल यह है कि जब 01.06.2019 की निविदा आमंत्रण सूचना जारी थी, तो यह निष्कर्ष वापस किया जाना चाहिए था कि 01.06.2019 की निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार की गई प्रक्रिया दुर्भावना से दूषित थी, लेकिन ऐसा कोई निष्कर्ष वापस नहीं किया गया है।

अब उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और दोनों जांच अधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, यदि हम विशेष सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, भंडारण निगम को लिखे गए पत्र को देखें तो यह दर्शाता है कि किस तरह कार्यपालिका ने एक स्वायत्त निगम की स्वतंत्रता पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है और निगम को अधिकारी की इच्छानुसार कार्य करने का आदेश दिया है। वह न केवल कार्रवाई करने का निर्देश देता है बल्कि उसे वापस रिपोर्ट करने का भी निर्देश देता है। विशेष सचिव का दिनांक 16.07.2018 का पत्र नीचे पुन: प्रस्तुत है:

प्रेषक,

मोहम्मद जुनैद, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ।

मैं

12

सहकारिता अनुभाग-1 2018 लखनऊ: दिनांक: 16 जुलाई, विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकों में हुई अनियमितता के दृष्टिगत निगम को हुई करोड़ो की क्षति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-2043/वाणिज्य / है०ट्रा०/निविदा/2019-20 दिनांक 14.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 14. 06.2019 एवं कार्यालय आदेश सं0-4108/ वाणिज्य / है० ट्रा० / सामान्य / 2019-20 दिनांक 15.06.2019 से स्पष्ट है कि मै० इकबाल अहमद अंसारी प्रापराइटर शिप फर्म के रूप में निगम में पंजीकृत थी, श्री इकबाल अहमद अंसारी की दिनांक 03.12.2014 को मृत्यु के उपरान्त पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 42 में उल्लिखित प्राविधान के अनुरूप स्वतः समाप्त मानी जायेगी। इसके उपरान्त भी उल्लिखित फर्म को टेण्डर दिया जाना मूल रूप में नियम विरूद्ध है। अतः उल्लिखित फर्म के जो टेण्डर नियम विरूद्ध किये गये है उन्हें निरस्त करते हुये संबंधित भण्डारगृहों के एच०

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

एण्ड० टी० कार्य हेतु पुनः ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ठेकेदारों की नियुक्ति किया जाना जनहित में होगा। आपके उक्त पत्र दिनोंक 14.06.2019 द्वारा प्रेषित

जॉच आख्या में विन्ध्यांचल मण्डल में दिनॉक 16.04.2018 को टेण्डर होने के फलस्वरूप प्राप्त टेण्डर (निम्न दर) बिना कारण बताते हुये निरस्त किये जाने तथा पुनः दो माह के अन्तराल में टेण्डर कराते हुये बहुत अधिक दरों पर टेण्डर स्वीकृत करने की शिकायत की पुष्टि हुई है। इसमें क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी (विन्ध्यांचल मण्डल) एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी तथा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक और मुख्यालय के संबंधित अधिकारियो की भूमिका भी संदिग्ध
प्रतीत होती है।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने स्तर से प्रकरण छानबीन करके जो शासकीय धन की वित्तीय क्षति हुई है, उसका आंकलन करते संलिप्त धनराशि संबंधित ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारीगण से वसूल करने कार्यवाही की जाये। जिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही पहले से ही प्रचलित है, उनके संबंध में इन आरोपो को अतिरिक्त आरोप पत्र के रूप में सम्मिलित करते हुये निर्गत करने की कार्यवाही की जाये तथा प्रकरण में दोषी पाये गये जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित नहीं है, उनको चिन्हित करते हुये विभागीय कार्यवाही की जाये। उल्लिखित फर्मों के जो टेण्डर नियम विरूद्ध किये गये है उन्हें निरस्त करते हुये संबंधित भण्डार गृहों के हैण्डलिंग एण्ड ट्रान्सपोर्ट कार्य हेतु पुनः ई-टेण्डरिंग माध्यम से ठेकेदारों की नियुक्ति की जाये।

उक्त कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय एच. इलिजिबल (मो. जुनैद) विशेष सचिव”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

अब, इस पत्र की विषय-वस्तु और भाषा को देखते हुए, हमें दिनांक 16.7.2018 को प्रबंध निदेशक को विशेष सचिव द्वारा लिखे गए पत्र के महत्व की जांच करने की आवश्यकता है। पत्र के अंतिम पैराग्राफ को जिस भाषा में लिखा गया है, वह सरकारी आदेश का स्पष्ट संकेत है। पैराग्राफ 3 और पत्र में दिए गए अंतिम निर्देशों को मोटे अक्षरों में हाइलाइट किया गया है और अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है:

"तदनुसार, मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप सार्वजनिक धन की हानि की गणना करें तथा तदनुसार संबंधित ठेकेदार से वसूली की कार्यवाही करें। इस संबंध में निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जो विभागीय जांच लंबित है, उसमें आपके पत्र दिनांक 14.6.2019 में जो आरोप सिद्ध पाए गए हैं, उन्हें अतिरिक्त आरोप के रूप में जोड़ा जाए तथा जिन कर्मचारियों को आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, उनकी पहचान होने के पश्चात उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए।

उक्त फर्म की स्वीकृत निविदाएं निरस्त की जाएं तथा अनुबंध के तहत कार्य करने के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएं।

नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आपके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में शीघ्र सूचित किया जाए, जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है।"

मुख्य सचिव को संबोधित प्रबंध निदेशक के दिनांक 14.6.2019 के पत्र के अवलोकन से हमें पता चला कि जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, यह एक जांच के रूप में है, बेशक एकपक्षीय है और यह उपरोक्त प्रशासनिक जांच में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर है कि विशेष सचिव ने 16.7.2018 को आदेश पारित किया है, जिसमें 1.6.2018 के निविदा आमंत्रण नोटिस के अनुसार निविदा प्रक्रिया को खराब और अस्थिर माना गया है और साथ ही निगम और निजी ठेकेदार के बीच हुए परिणामी समझौतों को भी गलत माना गया है। जैसा कि हमने अपने

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

आदेश के पिछले भाग में पहले ही चर्चा की है कि प्रबंध निदेशक के दिनांक 14.6.2019 के पत्र की गहन जांच से भी हम इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं कि दिनांक 1.6.2018 के निविदा आमंत्रण नोटिस के अनुसरण में की गई निविदा प्रक्रिया में कोई त्रुटि थी, हम यह समझने में असफल हैं कि विशेष सचिव ने यह निष्कर्ष कैसे दर्ज किया कि अपनाई गई निविदा प्रक्रिया खराब साबित हुई और इसलिए परिणामी समझौता भी खराब साबित हुआ। दिनांक 16.7.2018 के पत्र में हमने केवल इतना देखा कि विशेष सचिव ने व्यक्त किया है कि निगम के अधिकारियों का आचरण समग्र रूप से संदिग्ध था। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संदेह तब तक संदेह ही रहता है जब तक कि वह आंतरिक साक्ष्य के माध्यम से प्रमाण के आधार पर तथ्य न बन जाए और ऐसी आंतरिक सामग्री के आधार पर उस आशय का ठोस और ठोस निष्कर्ष न निकल जाए। मामले का यह पहलू प्रबंध निदेशक की दिनांक 14.6.2019 की जांच और विशेष सचिव द्वारा जारी दिनांक 16.7.2018 के पत्र दोनों में काफी कमी है। चूंकि ये दोनों दस्तावेज पक्षों को स्वीकार हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया है, इसलिए हमने इन दोनों दस्तावेजों का न्यायिक संज्ञान लिया है और हमारी सुविचारित राय में ये दस्तावेज टिकने योग्य नहीं हैं और इसलिए हम पाते हैं कि आदेश में लौटाए गए निष्कर्ष प्रबंध निदेशक की दिनांक 14.6.2019 की रिपोर्ट पर आधारित होने के कारण, पहले मुद्दे का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में सकारात्मक रूप से दिया जाता है। इस स्तर पर हमें एक कानूनी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, कि क्या प्रबंध निदेशक द्वारा अपनी स्वयं की प्रशासनिक जांच के आधार पर कार्रवाई करने और अपनी जांच रिपोर्ट में उनके द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों पर आदेश पारित करने का औचित्य था, क्या आदेश को पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है।

निष्पक्षता और निष्पक्षता के सिद्धांत का तात्पर्य एक बात से है और वह यह कि प्रशासनिक अधिकारी को यह प्रदर्शित करना होता है कि उसने जो प्रक्रिया अपनाई है, वह प्राकृतिक न्याय के नियम पर परखी जाए तो निर्विवाद है और फिर अंतिम कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांतों के अनुरूप है। यदि प्रबंध निदेशक ने जांच करते समय याचिकाकर्ता को भी सुना होता जो पहले से ही समझौते के तहत काम कर रहा था और फिर यह निष्कर्ष दर्ज किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version Not for Legal Use

होता कि निविदा को अंतिम रूप देने में अपनाई गई प्रक्रिया प्रतिवादी निगम के अधिकारियों की ओर से मनमानी या दुर्भावना के लिए खराब थी, तो यह कहा जा सकता था कि निष्कर्ष एकपक्षीय नहीं हैं और इसलिए, यदि उसके अनुसरण में कार्रवाई की गई है, तो यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और पक्षपात का आरोप टिक नहीं सकता। हालाँकि, वर्तमान मामले में प्रबंध निदेशक ने न केवल किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना स्वयं जांच की और फिर याचिकाकर्ता को अनुचित प्रभाव के किसी भी आरोप का दोषी नहीं ठहराया और न ही यह निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन निविदा को अंतिम रूप देने में अपनाई गई प्रक्रिया कुछ कारणों से खराब थी, बल्कि प्रबंध निदेशक ने अपनी रिपोर्ट को स्वीकार करने में वस्तुतः मनमाने तरीके से काम किया। विशेष सचिव का पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री, यदि कोई हो, के आधार पर किसी भी स्वतंत्र तथ्य के निष्कर्ष के बारे में बिल्कुल चुप है। उन्होंने केवल प्रबंध निदेशक को अपनी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। ऐसी परिस्थितियों में, प्रस्तावित कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस तरह का कोई भी अवसर और याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण आमंत्रित करना तथा उस पर विचार करना, निश्चित रूप से प्रतिवादी-प्रबंध निदेशक की ओर से निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपात के तत्व को दूर कर देता, लेकिन चूंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और जिस तरह से प्रबंध निदेशक ने एकपक्षीय जांच की और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकरण द्वारा अपनी निविदा स्वीकार करवाने में अनुचित लाभ उठाए जाने के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए आरोपित कार्रवाई निश्चित रूप से पक्षपात के लिए दूषित है।

दूसरे प्रश्न पर आते हुए कि क्या याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर मिलना चाहिए था या नहीं, या वर्तमान मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे या नहीं, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि किस तरह की कार्रवाई की गई है और उसके लिए क्या विचार किए गए थे। जैसा कि हम इस आदेश के पिछले भाग में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह तीसरे पक्ष की एक साधारण शिकायत थी कि पूरी कार्यवाही शुरू की गई थी और शिकायतकर्ता निविदा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version: Not for Legal Use

आवेदकों में से नहीं था और इसलिए शिकायतकर्ता का कोई दांव शामिल नहीं था, ऐसा लगता है कि उसे मामले में मुखबिर के रूप में लिया गया है और इसी आधार पर सार्वजनिक नीति के विपरीत मुद्दे को लेते हुए जिसमें भारी सार्वजनिक धन शामिल है, प्रतिवादियों ने आदेश पारित करने की कार्यवाही की है। इस मामले में यह ऐसा मामला नहीं था जहां निविदा आवेदन को दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए स्वीकार किया गया हो और याचिकाकर्ता और निगम के अधिकारियों के बीच किसी साजिश का परिणाम बताया गया हो। यदि अधिकारियों ने अपने विवेक से पहले की निविदा सूचना को रद्द कर दिया होता और उन निविदा सूचनाओं को रद्द करने पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता, केवल इसलिए कि उन पहले की निविदा सूचनाओं को रद्द/वापस ले लिया गया था, तो यह आवश्यक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि निविदा आमंत्रित करने वाली तीसरी सूचना कुछ बाहरी कारणों से थी। यह सच है कि इस बार की कीमतें पहले की निविदा प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक मानी गईं, जिसमें कीमतें बहुत कम बताई गई थीं, लेकिन यह अपने आप में पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का आधार नहीं बनता है, जिसे न केवल अंतिम रूप दिया गया था, बल्कि समझौता भी किया गया था और अनुबंध के तहत पार्टी बहुत अधिक धन निवेश करके काम कर रही थी। यदि यह ऐसा मामला भी होता जहां अनुबंध के पक्ष ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया होता, तो यह कहा जा सकता था कि निविदा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए निविदा रद्द की जा सकती थी। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष वापस नहीं आया है। जिन कारणों से निविदा कार्यवाही पहले ही समझौते के निष्पादन के साथ संपन्न हो चुकी थी, उसे याचिकाकर्ता द्वारा समझौता प्राप्त करने में अपनाई गई गलत प्रथा का कोई कारण बताए बिना रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को इस मामले में दोषी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, हमारी राय में यदि याचिकाकर्ता पहले से ही समझौते के तहत काम कर रहा था और कोई आरोप नहीं था कि उसने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो प्रतिवादियों को समझौते को एकतरफा रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।

संपूर्ण निविदा कार्यवाही तीन चरणों में की जाती है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

1. निविदा आमंत्रण नोटिस जारी करना;

2. तकनीकी और वित्तीय बोली खोलना; और

3. वित्तीय बोली और उसके अनुसार समझौते का अनुमोदन।

ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला कि निविदा आमंत्रण सूचना के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने के चरण में याचिकाकर्ता पात्र नहीं था अथवा तकनीकी बोली और वित्तीय बोली खोले जाने के समय याचिकाकर्ता गलत तरीके से योग्य पाया गया और याचिकाकर्ता की वित्तीय बोली को गलत तरीके से स्वीकृत किया गया तथा याचिकाकर्ता और निगम के बीच किया गया समझौता कानून के विरुद्ध होने के कारण अमान्य था।

यदि उपरोक्त तीनों चरणों में याचिकाकर्ता को निगम के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके किसी भी तरह से चीजों में हेराफेरी करने और किसी भी तरह की साजिश रचकर टेंडर हासिल करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, तो प्रबंध निदेशक द्वारा अचानक यह कहते हुए अनुबंध को रद्द करना कि संपूर्ण टेंडर आमंत्रण सूचना गलत थी, निश्चित रूप से इस तरह के आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि शक्ति के प्रशासनिक प्रयोग में, शक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी को न केवल उचित विवेक का प्रयोग करना होता है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया का भी पालन करना होता है जो पूरी कार्रवाई को मनमाना नहीं बनाती। यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जो भी मनमाना है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है और वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा आपत्तिजनक कार्रवाई करने में अपनाई गई प्रक्रिया न केवल एकपक्षीय थी बल्कि सरकार के विशेष सचिव के कार्यकारी आदेशों के अधीन थी, जो कि बिल्कुल अनुचित था। केवल इसलिए कि आदेश सरकारी अधिकारियों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

उच्च स्तरों से आए हैं, एक निगम जो एक स्वायत्त निकाय है, यांत्रिक रूप से उनके अनुपालन में कार्य नहीं करेगा और फिर प्रशासनिक प्राधिकारी को, इसलिए, उचित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। उचित रूप से विचार करने का अर्थ है कि एक जिम्मेदार पद पर आसीन एक उचित व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या उचित कदम उठाएगा, जहां एक प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है और परिणामी कार्रवाई की गई है, पहले से की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाने और उसके परिणामस्वरूप पहले से की गई कार्रवाई को रद्द करने के लिए। इस प्रकार एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई न केवल कार्यवाही के संचालन में उचित दृष्टिकोण की मांग करती है, बल्कि उस व्यक्ति को अवसर भी प्रदान करती है, जिसके हित और अधिकार प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित होने जा रहे हैं। एक शुद्ध और सरल अनुबंध से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व, निस्संदेह सामान्य कानून में कार्रवाई की मांग करते हैं और किसी भी पक्ष के हितों की रक्षा के लिए आम तौर पर कोई रिट जारी नहीं की जाएगी, लेकिन जहां किसी पक्ष को उसके अंत में समझौते के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं करने के लिए नहीं बल्कि कुछ प्रशासनिक कारणों से पूर्वाग्रह में डाला गया है, तो इसे शुद्ध और सरल अनुबंध से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, ऐसे मामलों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का नियम लागू होगा। प्रतिवादी प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत मामले तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं।

राजस्थान आवासन मंडल बनाम जी.एस. निवेश एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में नीलामी नोटिस 19.2.2002 को प्रकाशित किया गया था, नीलामी 20.2.2002 को आयोजित की गई थी और पेश की गई बोली बाजार दर से बहुत कम थी। 22.2.2002 को राज्य सरकार द्वारा अभिलेख तलब किए गए और 20.3.2002 को सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मंडल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अतः तथ्यात्मक रूप से उस मामले में स्थिति भिन्न थी, क्योंकि आयोजित नीलामी कार्यवाही कभी अंतिम रूप नहीं ले पाई और किसी भी नीलामी बोली को प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया गया, ऐसी परिस्थितियों में

Translated Version: Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

नीलामी बोलीदाता के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ था और इन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करना न्यायोचित था।

ईसीआई-एसपीआईसी-एसएमओ-एमसीएमएल (जेवी) बनाम सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और अन्य के मामले में न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया था और परिणामस्वरूप मुख्य परियोजना निदेशक ने महाप्रबंधक की मंजूरी से अनुबंध समाप्त करने का आदेश जारी किया। यह वास्तव में एक ऐसा मामला था जहां समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ था और अधिकारियों को अनुबंध रद्द करने का पूरा अधिकार था। इसलिए तथ्यात्मक रूप से यह मामला भी अलग था और न्यायालय ने अनुबंध समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से सही रूप से इनकार कर दिया। जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं अन्य बनाम जार्डाइन हेंडरसन स्टाफ एसोसिएशन (सुप्रा) के मामले का सवाल है, उक्त मामले में न्यायालय ने पैराग्राफ-61 के तहत यह टिप्पणी की थी कि उक्त मामले में कानून और तथ्य दोनों ही प्रतिवादियों के पक्ष में थे और उच्च न्यायालय ने सही ढंग से यह समझा था कि यदि बकाया भुगतान की मांग की जाती है और नियोक्ता या कर्मचारी को इससे कोई लाभ नहीं होता है तो प्रतिवादी स्टाफ एसोसिएशन को कितनी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि "यह मानते हुए भी कि कानून ईएसआई के पक्ष में है, मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।" इस प्रकार, उस मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने मामले में पर्याप्त न्याय करने के लिए, भले ही वह गलत पाया गया हो, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि अन्य बातों के साथ-साथ राहत से इनकार किया जा सकता है, जब यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो या जहां एक अवैध आदेश को रद्द करने से कोई अन्य अवैध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version - Not for Legal Use

आदेश पुनर्जीवित हो सकता हो। कानून का यह उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों की स्थापना में लागू नहीं होता है क्योंकि यहां निविदा कार्यवाही में कुछ भी अवैध नहीं पाया गया था जिसके परिणामस्वरूप अंततः निगम द्वारा याचिकाकर्ता के साथ समझौता हुआ। कार्य को पूरा करने की लागत के रूप में मूल्य का निर्धारण, 19.4.2018 को निगम के अधिकारी द्वारा स्वयं बाजार सर्वेक्षण किए जाने के बाद किया गया है और केवल इसलिए कि निगम ने अपने विवेक से उच्च अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति के साथ बोली को स्वीकार करने का निर्णय लिया, यह नहीं कहा जा सकता है कि संपूर्ण निविदा कार्यवाही किसी बाहरी विचार के परिणामस्वरूप कानूनी रूप से दोषपूर्ण थी। इसके अलावा, इस मामले में, याचिकाकर्ता को अनुचित प्रभाव या साजिश के किसी भी आरोप का दोषी नहीं पाया गया है। याचिकाकर्ता ने समझौते के तहत एक वर्ष से अधिक समय तक काम किया है और इस स्तर पर बीच में इसे रद्द करने और उसी काम के लिए नए सिरे से निविदा जारी करने से फिर से सार्वजनिक धन से जुड़ी एक विस्तृत लंबी प्रक्रिया होगी और औसत के गणितीय सिद्धांत पर ऐसा रुख सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया गया एक अन्य निर्णय मेसर्स अम्बे कैरियर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (सुप्रा) है। यह मामला तथ्यों के आधार पर भी अलग है, क्योंकि उक्त मामले में अनुबंध वित्तीय वर्ष 2013-14 में ही समाप्त हो चुका था और अनुबंध की अवधि प्रशासनिक आदेश द्वारा 31.3.2014 तक बढ़ा दी गई थी और ठेकेदार द्वारा कुछ उल्लंघन किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अनियमितताएं हुईं, जिसके कारण प्राधिकरण को अनुबंध समाप्त करना पड़ा। उपरोक्त पृष्ठभूमि में न्यायालय ने उस मामले में उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया कि अनुबंध समाप्त करने वाले आदेश को अवैध माना जाना चाहिए, क्योंकि सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था। न्यायालय ने सही रूप से टिप्पणी की थी कि संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न मामलों में प्राकृतिक न्याय के नियम का सख्त अनुपालन शामिल नहीं था। शर्तों के उल्लंघन और समझौते के तहत दायित्व को पूरा करने में विफलता पर अनुबंध की ऐसी समाप्ति के लिए उपाय या तो मध्यस्थता या सामान्य कानून

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use

उपाय का विषय है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं है और न ही याचिकाकर्ता समझौते को पूरा करने में अपनी ओर से किसी भी गलती का दोषी है।

रमना दयाराम शेट्टी (सुप्रा) के मामले में, न्यायालय ने पैराग्राफ-10 के तहत इस प्रकार निर्णय दिया है:

".... यह प्रशासनिक कानून का एक सुस्थापित नियम है कि एक कार्यकारी प्राधिकरण को उन मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का न्याय करने का दावा करता है और उसे उन मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, भले ही उनका उल्लंघन करने वाले किसी कार्य को अमान्य घोषित किया जा सकता हो। यह नियम न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर द्वारा विटेरली बनाम सैटन मामले में प्रतिपादित किया गया था, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने कहा था:

"कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिनके आधार पर वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करती है। तदनुसार, यदि रोजगार से बर्खास्तगी एक निश्चित प्रक्रिया पर आधारित है, भले ही वह ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकता से परे उदार हो, तो उस प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक कानून का यह न्यायिक रूप से विकसित नियम अब दृढ़ता से स्थापित है और, अगर मैं जोड़ सकता हूं, तो यह सही है। जो प्रक्रियात्मक तलवार उठाता है, वह तलवार से ही नष्ट हो जाएगा।

इस न्यायालय ने ए.एस. अहुवालिया बनाम पंजाब में इस नियम को वैध और भारत में लागू माना और सुखदेव बनाम भगतराम में दिए गए बाद के फैसले में, मैथ्यू, जे. ने श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर की उपर्युक्त टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। यह ध्यान देने योग्य है कि यह नियम, हालांकि अनुच्छेद 14 से निकलने के रूप में भी समर्थन योग्य है, केवल उस अनुच्छेद पर आधारित नहीं है। अनुच्छेद 14 से अलग इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। यह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

प्रशासनिक कानून का एक नियम है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा मनमानी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ एक जांच के रूप में न्यायिक रूप से विकसित किया गया है। यदि हम श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के फैसले की ओर मुड़ते हैं और इसकी जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के समानता खंड से नियम के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसे पूरी तरह से प्रशासनिक कानून के नियम के रूप में विकसित किया है। इंग्लैंड में भी, प्रशासनिक कानून में हाल ही में रुझान उसी दिशा में है जैसा कि प्रोफेसर वेड के "प्रशासनिक कानून", चौथे संस्करण में पृष्ठ 540-41 पर बताई गई बातों से स्पष्ट है। कोई कारण नहीं है कि हमें इस नियम को अपने निरंतर विस्तारित प्रशासनिक कानून के हिस्से के रूप में अपनाने में संकोच करना चाहिए.....

उपरोक्त के मद्देनजर, इसलिए, हम इस विचारित राय पर हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता निश्चित रूप से विवादित आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अवसर पाने का हकदार था और इस आधार पर भी कि याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है, विवादित आदेश कानून में कायम नहीं रह सकता है और इसे रद्द किया जा सकता है।

तीसरे बिंदु पर आते हुए, जब प्रतिवादी- वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक स्वायत्त निकाय है, तो क्या इसे अधिकारियों द्वारा एक विशेष तरीके से मामलों का संचालन करने के लिए प्रशासनिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है और क्या इसे कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कार्यकारी आदेशों के माध्यम से एक समझौते को रद्द करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि आयोजित निविदा कार्यवाही कानून में गलत थी। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि क्या एक स्वायत्त निकाय सरकार के सचिवों के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम राजा राम एवं अन्य के मामले में एआईआर 1981 एससी 1694 में सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 5 के तहत इस प्रकार निर्णय दिया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version - Not for Legal Use

"तब अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि निगम एक सरकारी विभाग है। हम इस दलील को भी स्वीकार नहीं कर सकते। सरकारी विभाग को एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो न केवल पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्तपोषित हो बल्कि उसकी अपनी कोई पहचान भी न हो। ऐसे विभाग द्वारा अर्जित धन सरकार के खजाने में जाता है और विभाग द्वारा होने वाले नुकसान सरकार के नुकसान हैं। दूसरी ओर, निगम एक स्वायत्त निकाय है जो संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने में सक्षम है और अनुबंध करने की शक्ति रखता है। यह अपने नाम से मुकदमा भी कर सकता है या मुकदमा दायर कर सकता है और सरकार किसी भी मुकदमे में शामिल नहीं है जिसमें यह एक पक्ष है। यह सच है कि इसकी मूल शेयर पूंजी केंद्र सरकार (एफसी अधिनियम की धारा 5) द्वारा प्रदान की जाती है और इसके निदेशक मंडल के 12 में से 11 सदस्य उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं (एफसी अधिनियम की धारा 7) लेकिन फिर ये कारक अधिकतम हो सकते हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं (जिसके बारे में हम कोई अंतिम राय नहीं देते) कि निगम केंद्र सरकार की एजेंसी या साधन है। इस संबंध में हम रमना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण, 1979 (3) एससीआर 1014 में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का हवाला दे सकते हैं: (एआईआर 1979 एससी 1628 पृष्ठ 1639 पर):

"एक निगम दो तरीकों में से एक में बनाया जा सकता है। इसे या तो क़ानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम, 1956 या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 जैसे किसी कानून के तहत निगमित किया जा सकता है। जहाँ निगम न केवल अपनी नीति निर्माण में बल्कि इसे स्थापित करने वाले कानून या इसके निगमन के चार्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में भी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, वहाँ कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह सरकार का एक साधन या एजेंसी होगा। लेकिन आम तौर पर जहाँ निगम क़ानून द्वारा स्थापित किया जाता है, यह अपने कामकाज में स्वायत्त होता है, केवल एक प्रावधान के अधीन, जो अक्सर बनाया जाता है, कि यह नीतिगत मामलों के संबंध में सरकार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश से बंधा होगा। इसी तरह कानून के तहत निगमित निगम का प्रबंधन निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा उस क़ानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है जिसके तहत इसे निगमित किया गया है। ऐसा निगम सरकार का साधन या एजेंसी कब बनता है? क्या निगम की पूरी शेयर पूंजी सरकार के पास होना पर्याप्त है या यह आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कुछ हद तक प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखा जाए और यदि ऐसा है तो ऐसे नियंत्रण की प्रकृति क्या होनी चाहिए? क्या निगम को जिन कार्यों को करने का दायित्व दिया गया है, उनमें कोई विशेष विशेषता या विशेषता होनी चाहिए या कार्यों की प्रकृति महत्वहीन है? अब, एक बात स्पष्ट है कि यदि निगम की पूरी शेयर पूंजी सरकार के पास है तो यह इस बात का संकेत देने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा कि निगम सरकार का एक साधन या एजेंसी है। लेकिन, जैसा कि अक्सर होता है, कानून द्वारा स्थापित निगम के पास कोई शेयर या शेयरधारक नहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में यह विचार करना एक प्रासंगिक कारक होगा कि क्या प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल के हाथों में है, हालांकि यह विचार भी निर्णायक नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वे अपने कार्यों के निर्वहन में सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं।

हालांकि, यह निष्कर्ष कि निगम केंद्र सरकार की एजेंसी या साधन है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि निगम एक सरकारी विभाग है। इसका कारण यह है कि एफ.सी. अधिनियम ने निगम को सरकार से अलग एक व्यक्तित्व प्रदान किया है। किसी भी मामले में निगम को एल.ए. अधिनियम की धारा 3 के खंड (ई) में परिभाषा के अर्थ में 'कंपनी' के रूप में उसके चरित्र से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उस खंड की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है, जैसा कि हमने ऊपर कहा है।

Translated Version: Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

यू.पी. स्टेट वेयरहाउसिंग बनाम सुनील कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य 2013(3) एडीजे 745 के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने पैराग्राफ संख्या 28 एवं 43 के माध्यम से इस प्रकार टिप्पणी की है:

"28. निगम की परिभाषा और वैधानिक प्रावधानों (सुप्रा) को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता निगम के पास स्वायत्तता है और इसका व्यवसाय अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा प्रदत्त वैधानिक शक्ति के अनुसरण में विनियमित है। इसके पास अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से निपटने की स्वायत्तता भी है (धारा 23)। वाणिज्यिक मामलों या कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में निर्णय राज्य सरकार के लिए अनुमोदन या अस्वीकृति का विषय नहीं हो सकता है। बेशक, यदि सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेती है और धारा 20 की उप-धारा (5) में निहित राइडर के अधीन उसे प्रसारित करती है, तो निगम ऐसे नीतिगत निर्णय का पालन करेगा। निगम की उत्पत्ति और जन्म अधिनियम से हुआ है और राज्य सरकार द्वारा अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से लिए गए कुछ आदेशों या निर्णयों के अनुपालन में स्थापित नहीं हुआ है। निगम को अधिनियम के तहत बनाए गए अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने का अधिकार है। राज्य सरकार के पास निगम द्वारा अपने निदेशक मंडल के माध्यम से अपने मामलों या व्यावसायिक हित में अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज का प्रबंधन करने के लिए लिए गए व्यक्तिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

43. राजस्थान विद्युत बोर्ड, जयपुर बनाम मोहन लाल एवं अन्य (सुप्रा) तथा नीरज अवस्थी (सुप्रा) के मामले को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह लगातार मत रहा है कि वैधानिक प्रावधानों के तहत निगम की स्थापना करते समय राज्य की संप्रभु शक्ति संबंधित बोर्डों को सौंपी जाती है तथा बोर्ड को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार को नीतिगत निर्णयों को कमतर आंकने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि निर्णय, आदेश या परिपत्र को व्यक्तिगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

रूप से नहीं बल्कि रेम में लिया जाना। कोई भी अन्य व्याख्या बोर्ड/निगम की स्वायत्तता और वैधानिक कार्य के लिए विध्वंसक होगी तथा सरकार द्वारा किसी न किसी आधार पर दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के कारण कुप्रशासन पैदा करेगी और व्यवस्था को भ्रष्ट करेगी।

उपर्युक्त के मद्देनजर, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में, हमारा मत है कि राज्य सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से निगम के दिन-प्रतिदिन के मामलों और कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि निगम एक स्वायत्त निकाय है।

हालांकि, चूंकि निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है, इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक साधन है। सरकार ने संविदात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम बनाए हैं और इसलिए, सिद्धांत रूप में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निगम को ऐसे मामलों से निपटने के दौरान उन नियमों और विनियमों का पालन करना होगा और इसलिए, यदि निगम के अधिकारियों की ओर से कुछ गलत कार्रवाई के कारण राज्य सरकार को कोई दोष पता चलता है, तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगता है यदि राज्य सरकार चीजों को सही करना चाहती है लेकिन हर राज्य कार्रवाई में यह देखना होगा कि कानून के शासन का पालन किया गया है या नहीं। राज्य सरकार का निगम के मामलों में गहरा व्यापक नियंत्रण हो सकता है लेकिन निगम को स्वायत्त निकाय बनाने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि उसे अपने कामकाज के मामलों में स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। निगम के दिन-प्रतिदिन के मामलों में समग्र सामान्य नियंत्रण की सराहना नहीं की जा सकती है, हालांकि, जहां सरकार को लगता है कि निगम के अधिकारियों ने सार्वजनिक नीति के खिलाफ काम किया है और एक तरफ राज्य के हित को खतरा है और दूसरी तरफ सार्वजनिक हित को खतरे में डाला गया है, वह हमेशा हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन इस तरह के हस्तक्षेप के लिए सरकार को प्रक्रिया का पालन करना होगा, या तो वह उक्त उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है या वह कानून के सामान्य नियम का पालन करेगी लेकिन किसी भी कार्यकारी आदेश या आदेश द्वारा वह निगम के अधिकारियों को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version: Not for Legal Use.

निर्देशित नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत सरकारी अधिकारी/प्राधिकारियों की ओर से ऐसी कार्रवाई की गारंटी नहीं देते हैं।

जहां तक चौथे मुद्दे का सवाल है, इस मामले में हमने पाया है कि विशेष सचिव शिकायत से लगभग बहक गए थे और शिकायत को वास्तविक मानते हुए उन्होंने प्रथम दृष्टया बहुत जल्दबाजी में संभागीय आयुक्त को जांच करने के निर्देश दिए और प्रबंध निदेशक को भी जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जांच रिपोर्ट की सराहना नहीं की और उसके बाद यह मान लिया कि प्रतिवादी-निगम ने 1.6.2018 को निविदा जारी करने में गलती की थी। वह यह भी समझने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता के निविदा आवेदन की स्वीकृति और सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में इसकी मंजूरी और फिर समझौते में प्रवेश करने के सभी चरण पहले ही किए जा चुके थे और मनमानी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जिस तरह से दिनांक 16.7.2018 का आदेश-सह-पत्र जारी किया गया है, वह उचित विवेक का संकेत नहीं देता है और इसलिए दिनांक 16.7.2018 का पत्र-सह-आदेश रद्द किए जाने योग्य है। प्रबंध निदेशक की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की निविदा को स्वीकार करवाने और फिर उसे मंजूरी दिलाने और परिणामी समझौते में हेरफेर या साजिश के माध्यम से शामिल होने के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, इसलिए यह जांच रिपोर्ट भी उस आधार पर टिकने योग्य नहीं है। निष्कर्ष यह मानने के लिए ठोस और पुख्ता नहीं हैं कि दिनांक 1.6.2018 को निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस किसी भी तरह से खराब था और इसलिए, उस सीमा तक जांच रिपोर्ट भी कानून में टिकने योग्य नहीं है।

राज्य की कार्रवाई में पक्षपात और अवैधता के अलावा, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता भी न्यायिक समीक्षा के कारण हैं। मनोहर लाल शर्मा बनाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी (2019) 3 एससीसी 25 के मामले में, खंडपीठ की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने पैराग्राफ 7 से 11 में इस प्रकार टिप्पणी की है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version Not for Legal Use

"7. निविदाओं और अनुबंधों के पुरस्कार के संबंध में प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के मानदंड वास्तव में वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधि में राज्य की बढ़ती भागीदारी से विकसित हुए हैं। जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य में, इस न्यायालय ने वाणिज्यिक लेनदेन में सीमाओं के बारे में सचेत होकर, निर्णय लेने की प्रक्रिया और अनुचितता और दुर्भावना के मापदंडों तक अपनी जांच को सीमित कर दिया। वास्तव में, न्यायालय ने माना कि उसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भले ही निविदाकर्ता के पूर्वाग्रह के लिए कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई हो, क्योंकि इस तरह की न्यायिक समीक्षा करते समय निजी हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। अनुबंध का पुरस्कार, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है, इसे ऐसे वाणिज्यिक निर्णयों के लिए प्रासंगिक विचारों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, और इसका तात्पर्य यह है कि जिन शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, वे न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हैं, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि उन्हें किसी विशेष निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। (देखें
माँ बिंदा एक्सप्रेस कैरियर एवं अन्य बनाम नॉर्थईस्ट फ्रंटियर
रेलवे)

8. टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ से शुरू होने वाले विभिन्न न्यायिक फैसले, सभी इस पहलू पर जोर देते हैं कि जांच वेडनसबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत और दुर्भावना या पक्षपात की अनुपस्थिति तक सीमित होनी चाहिए।
9. हम मुद्दे में निविदा को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। यह निविदा सड़क, पुल आदि के निर्माण के लिए नहीं है। यह विमानों की खरीद के लिए रक्षा निविदा है। जांच का पैरामीटर खरीद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सरकार को कहीं ज़्यादा छूट देगा। सीमेंस पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ में भी इस पहलू पर ज़ोर दिया गया था। जिस तीन आधारों पर ऐसी न्यायिक जांच की अनुमति है, उन्हें लगातार "अवैधता", "तर्कहीनता" और "प्रक्रियात्मक अनुचितता" माना जाता रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version - Not for Legal Use

10. रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स (पी) लिमिटेड बनाम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मामले में दो एयरपोर्ट के लिए रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्तियों के निजीकरण की नीति जांच के दायरे में आई। उक्त मामले में (एससीसी पृष्ठ 49, पैरा 57 पर) ग्राहम एल्डस और जॉन एल्डर द्वारा उनकी पुस्तक 'एप्लीकेशन फॉर ज्यूडिशियल रिव्यू, लॉ एंड प्रैक्टिस' में की गई टिप्पणी का संदर्भ दिया गया:

"57. ... न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने के विरुद्ध एक सामान्य धारणा है, ताकि न्यायिक समीक्षा को बाहर करने का दावा करने वाले वैधानिक प्रावधानों को प्रतिबंधात्मक रूप से व्याख्यायित किया जा सके। हालांकि, सरकारी गतिविधि के कुछ क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिमान है, जिसके बारे में न्यायालय स्वयं को जांच करने में अक्षम मानते हैं, प्रारंभिक निर्णय से परे कि क्या सरकार का दावा वास्तविक है। इस तरह के गैर-न्यायसंगत क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं है, बल्कि बहुत सीमित है। यह भी कहा गया है कि शाही विशेषाधिकार द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ स्वाभाविक रूप से अप्रतिसंशोधनीय हैं, लेकिन सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भाषणों के बाद से यह संदिग्ध है। लॉर्ड्स डिप्लॉक, स्कैमन और रोस्किली (sic.) इस बात से सहमत दिखाई दिए कि शक्तियों के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है, इस आधार पर कि उनका स्रोत वैधानिक है या विशेषाधिकार है, लेकिन न्यायिक समीक्षा सीमित हो सकती है। किसी विशेष शक्ति के विषय-वस्तु द्वारा, उस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा। कई विशेषाधिकार शक्तियाँ वास्तव में संवेदनशील, गैर-न्यायसंगत क्षेत्रों से संबंधित हैं, उदाहरण के लिए, विदेशी मामले, लेकिन कुछ सिद्धांत रूप में समीक्षा योग्य हैं, जिसमें सिविल सेवा से संबंधित विशेषाधिकार शामिल हैं जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल नहीं है। एक अन्य गैर-न्यायसंगत शक्ति अटॉर्नी जनरल का विशेषाधिकार है कि वह यह तय करे कि सार्वजनिक हित की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं। [जोर दिया गया]

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Version. Not for Legal Use.

आक्षेपित आदेश मूलतः प्रबंध निदेशक द्वारा स्वयं तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर आधारित है और जांच एकपक्षीय तरीके से की गई थी और प्रबंध निदेशक आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान करने में विफल रहे, जिसका प्रभाव बिना किसी उचित कारण के अनुबंध को समाप्त करने के रूप में हुआ है, जिससे यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता किसी भी समय दोषी था। इसलिए, प्रबंध निदेशक की परिस्थितियों में पक्षपात के तत्व से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, दिनांक 26.7.2019 को अनुबंध को समाप्त करने वाला आक्षेपित आदेश कानून में कायम नहीं रह सकता है।

इस प्रकार, उपरोक्त चर्चाओं के लिए रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। रिट याचिका के लिए दिनांक 26.7.2019 (अनुलग्नक-13) का आदेश और प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14.6.2019 की जांच रिपोर्ट और साथ ही विशेष सचिव द्वारा दिनांक 16.7.2019 को पारित आदेश भी निरस्त किए जाते हैं। यदि आरोपित आदेश के अनुसरण में कोई परिणामी कार्रवाई की गई है तो उसे भी निरस्त किया जाता है।

हालांकि, इसके बाद होने वाले परिणाम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होंगे।

आदेश दिनांक: 11.12.2019

Translated Version: Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।